International Journal of Academic Excellence and Research (IJAER)
ISSN: 3107-3913(Online)
Vol. 01, No. 04, October-December, 2025, pp 112-119
© Copyright by MGM Publishing House (MGMPH)
www.mgmpublications.com

भारत में मानवाधिकारों से संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण

डॉ. रमेशी मीना*
सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर।
***Corresponding author:** rameshimeenalec@gmail.com
Citation: मीना, रमेशी. (2025). भारत में मानवाधिकारों से संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण. International Journal of Academic Excellence and Research, 01(04), 112–119.

सारः *प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं,, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने बाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही 'अधिकारहै।,मानव अधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ हमकों पूर्णरूप से विकसित होने के लिये अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। मानवाधिकारों की सर्जना नहीं की जाती है वरन् इनकी स्थिति स्वाभाविक होती है। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के अंतर्निहित अधिकार हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, और भी बहुत कुछ शामिल है। बिना किसी भेदभाव के, सभी को ये अधिकार प्राप्त हैं। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुख्य अभिकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, जिन्हें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है। ये संस्थाएं शिकायतें दर्ज करने और जांच करने का काम करती हैं हालांकि उनके पास दंडात्मक अधिकार नहीं हैं इनके अलावा, विभिन्न न्यायालय, विभिन्न सरकारी आयोग और गैर–सरकारी संगठन (छळए) भी मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए काम करते हैं।*

Article History:
Received: 29 November, 2025
Accepted: 16 December, 2025
Published: 31 December, 2025

शब्दकोशः
प्रकृति, व्यक्तित्व, स्वतंत्रताएं, मानवाधिकार, राष्ट्रीयता, अधिनियम, दंडात्मक, सुरक्षा, संवर्धन।

प्रस्तावना

मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की एक गरिमा होती है, इस कारण वह अपने आप में बहुमूल्य है, और मनुष्य होने के नाते उसे गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए पैदा होते ही प्रकृति उसे वे सब अधिकार प्रदान करती है जो एक मानव जाति के अस्तित्व के लिये जरूरी हैं। कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी अन्य व्यक्ति से उन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ऐसे में मानव अधिकारों की रक्षा के लिये द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव–जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by MGM Publishing House. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये। हालाँकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया जो समय–समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएँ भेजता है। भारत में मानवाधिकारों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभिकरण हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वोच्च संस्था है, और राज्य मानवाधिकार आयोग, जो राज्यों में मानवाधिकारों की देखरेख करते हैं और जिलों में मानव अधिकार न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार (जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार) और अन्य कानूनों तथा नीतियों का प्रवर्तन भी इसमें शामिल है। मानव अधिकारों के हित में संघर्ष करने वाले विभिन्न एनजीओ और मानव अधिकार आंदोलन भी सक्रिय है।

मानवाधिकार क्या हैं

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। इन अधिकारों की मांग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे इनके बारे में उस देश (जहाँ का वह निवासी है) के संविधान में प्रावधान किया गया हो या नहीं। इनकी उत्पत्ति का स्त्रोत मानवीय विवेक न होकर मानव का मानवोचित्त गुण है। इनके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल हैं। इन्हीं अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में एक घोषणा–पत्र जारी किया था। इस घोषणा–पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं।

मानव अधिकारों की उत्पत्ति

'मानवाधिकार' शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया गया था। इसके पहले अधिकारों के संदर्भ में 'प्राकृतिक अधिकार' अथवा 'व्यक्ति के अधिकार' शब्द प्रचलन में थे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध दार्शनिकों ग्रोशियस, हॉब्स और लॉक की रचनाओं में हुई थी। उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य आधार 'प्राकृतिक कानून' हैं। यह कानून प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का सम्मान करने की बात कहते हैं। जॉन लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दी टू ट्रीटसेज ऑन गवर्नमेंट" में इन प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया है।

इसके अलावा, 1776 में अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में जारी किये गए घोषणापत्र में भी कहा गया था कि 'सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं तथा सृष्टिकर्ता ने उन्हें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की प्राप्ति जैसे कुछ अदेय अधिकार प्रदान किये हैं।' तत्पश्चात 1789 में फ्रांस द्वारा घोषित मानव और नागरिक अधिकारों के घोषणापत्र में एक बार फिर व्यक्ति के अधिकारों की प्राकृतिक व अदेयता की बात कही गई थी। इन देशों ने अपने नागरिकों को ये अधिकार एक व्यक्ति होने के नाते दिया था न कि एक राज्य होने के नाते।

17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित जो घोषणाएँ की गई थीं 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र और इनसे संबंधित कई अन्य समझौतों के माध्यम से उन्हीं का और विस्तार किया गया। आसान भाषा में कहें तो मानवाधिकार पुराने प्राकृतिक अधिकारों के ही उत्तराधिकारी हैं

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन किया गया था। इस कारण से भविष्य में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु ठोस व्यवस्था किये जाने की जरूरत महसूस हुई और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लिया। सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों से इस घोषणा–पत्र को प्रसारित करने का आह्वान किया था। मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 48 देशों ने हस्ताक्षर किये थे जिनमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए। 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा, राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया। चलिये जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में–

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसद के एक अधिनियम, नामतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देश में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में लगा हुआ है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य

आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार है–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का,जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आतंकवाद के कारनामें सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती है और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

- आयोग केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ऐसे किसी भी मामले में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसकी राय में इतनी आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत करने तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को क्रमशः संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। आयोग की सिफारिश पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों तथा आयोग की सिफारिश, यदि स्वीकार न की गई हो तो उसे स्वीकार न किए जाने के कारणों को भी रखेगी।

आयोग को परिवाद की जाँच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगीं।

राज्य मानवाधिकार आयोग

भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र के साथ– साथ सभी राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है । अब तक भारत के 26 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किये हैं

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं :

- संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व–प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना ।
- न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ।
- विभिन्न कारावासों की स्थिति का आकलन करना व इस बारे में सिफारिशें करना ।
- मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना ।
- आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना ।
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना एवं इसे प्रोत्साहित करना ।
- मानवाधिकारों के प्रति लोगों की चेतना को जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना ।
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना ।
- मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिये यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो, तो उसे संपन्न करना ।

अपने उपरोक्त कर्तव्यों के वहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है :

राज्य मानव अधिकार आयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर के ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ हो । दूसरे शब्दों में, आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो तथा जिस मामले को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो । आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है । इन रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों के साथ राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है ।

जिला मानवाधिकार न्यायालय

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) का अध्याय 4 मानवाधिकारों के उल्लंघन के त्वरित परीक्षण के लिए हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना भी प्रदान करता है । ये अदालतें राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति के साथ ही स्थापित की जा सकती हैं । प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार एक सरकारी वकील निर्दिष्ट करती है या एक वकील नियुक्त करती है (जिसने एक विशेष अभियोजक के रूप में वकालत किया है) ।

मानव अधिकारों संबंधित अन्य अभिकरण

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं और मानवाधिकारों से जुड़े मुकदमों में स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं।

अन्य राष्ट्रीय आयोग : कुछ विशिष्ट मानवाधिकारों के लिए अन्य राष्ट्रीय आयोग भी हैं, जैसेः

- **राष्ट्रीय महिला आयोग**

यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की समीक्षा करने और उन्हें सलाह देने के लिए 1992 में की गई थी। यह महिलाओं से संबंधित नीतियों पर सरकार को सलाह देता है, उनकी शिकायतों का निवारण करता है और सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करता है।

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

यह भारत में बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। यह आयोग 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाता है, निगरानी करता है और भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निर्धारित अधिकारों के अनुरूप कानूनों और प्रशासनिक तंत्र की जांच करता है।

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**

यह एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है और अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इसे पहले के संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर दिया गया था।

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 338। में परिभाषित है। इसकी स्थापना संविधान (89वें संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई थी, जिसने पहले के संयुक्त आयोग को दो अलग–अलग आयोगों में विभाजित कर दिया था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग**

एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। आयोग के पास अर्ध–न्यायिक शक्तियां हैं और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

पाँच धार्मिक समुदाय अर्थात, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का गठन किया और राज्य सरकार ने अपने–अपने राज्य की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया। इन संगठनों की स्थापना भारत के संविधान में प्रदान की गयी तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गयी है।

विभिन्न गैर– सरकारी संगठन

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में कई गैर–सरकारी संगठन भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। ये संगठन जागरूकता फैलाने, मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने, पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने और सरकार के साथ मिलकर काम करने जैसे कार्य करते हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हित में संघर्ष करने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। यह जर्मनी में स्थापित की गई थी। वर्तमान में इस संस्था का मुख्यालय लंदन में है। यह संस्था मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित मामलों की स्वयं अपने स्तर पर जाँच करती है तथा जाँच में जो परिणाम सामने आते हैं, उनके समाधान के लिए उन्हें सम्बन्धित देश की सरकार को भेजती है। यह संस्था अपनी जाँच के परिणामों का प्रकाशन भी करवाती है।

पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टी

इस संस्था की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गोविन्द मुखौती थे। यह संस्था एक स्वैच्छिक संस्था है तथा मानवाधिकार हनन की घटना की जाँच एक टीम भेज कर करवाती है। पीड़ित, पुलिस तथा प्रकरण की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से जाँच टीम बात–चीत करती है तथा उसके पश्चात् टीम मामले पर निष्कर्ष निकालती।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स

मानवाधिकारों के हनन एवं व्यक्तियों के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाली और इस विषय में मामले उठाने वाली 'पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स' भी एक संस्था है। गोविन्द मुखौती, मनोरंजन मोहंती, नंदिता हारस्कर आदि इसके प्रवक्ता रहे हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

एशिया वाच

'एशिया वाच' नामक संस्था एशियाई देशों में मानवाधिकारों सम्बन्ध घटनाओं को प्रचारित करती है।

ह्यूमन राइट वाच

विश्वस्तर पर 'ह्यूमन राइट वाच' नामक संस्था है। इस संस्था ने एक रिपोर्ट में अमेरिका में रंगभेद, पुलिस अत्याचार, भाषा सम्बन्धी भेदभाव एवं जेलों के बुरे व्यवहार पर स्थिति बताई थी।

ह्यूमन राइट्स फर्स्ट

यह एक गैर–लाभकारी संस्था है जो मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करती है। यह एक संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनका समर्थन करना है।

मानवाधिकार फाउंडेशन

यह एक गैर–लाभकारी संगठन है जो भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए काम करता है। यह संगठन लोगों को मानवाधिकारों की रक्षा और उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकजुट करता है।

स्नेहालय

महाराष्ट्र स्थित यह एक गैर–सरकारी संगठन है जो मानव तस्करी के पीड़ितों, यौनकर्मियों और एचआईवी से प्रभावित लोगों जैसे कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करता है। यह उन्हें सुरक्षित आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।

मानवाधिकार सुरक्षा समिति

यह भारत में प्रत्येक नागरिक को पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत

यह एक गैर–सरकारी संगठन है जो विभिन्न मानवाधिकारों के मुद्दों पर काम करता है।यह एक सामाजिक संगठन है जो शोषित, पीड़ित और उपेक्षित लोगों की सहायता के लिए काम करता है।इसका उद्देश्य समाज में शोषितों की आवाज को बुलंद करना है।यह भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में मदद करता है।

निष्कर्ष

इन सबके साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अगर कोई कार्य हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण के साथ दूसरों के लिये भी नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। केवल मानवाधिकार अभिकरणों द्वारा शिकायतों का निवारण करने से ही मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पायेगा, लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा । साथ ही यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना है। अर्थात जो आजादी, समानता, प्रतिष्ठा, शांति आप अपने लिये चाहते हैं, वह दूसरों को भी दें। तब जाकर हम सब अपने मानवाधिकारों का विकास और संरक्षण कर पाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. डी.डी. बसु, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवाधिकार, भारत लॉ हाउस, 1988 पृ. 10
2. उमरेन्द्र कुमार मिश्र, मानवाधिकार मानव मूल्यों का रक्षक, कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2007 पृ. 28
3. डॉ. बी.एल. फाडिया, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010 पृ. 173–175
4. एस. के. कपूर, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, 2007 पृ. 130
5. विजय कुमार, दि वर्किंग ऑफ दि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ए. प्रस्पैटिव चिरंजीवी जे. निर्मल में उद्धृत 2006 पृ. 213
6. बी. आर. कृष्ण अय्यर, ह्यूमन राइट्स एण्ड ह्यूमन संम्स, 2004 पृ. 30
7. ओम प्रकाश मिश्र, मानवाधिकार विधि, 2007 पृ. 1

8. शिवाराव बी., दि फेमिंग ऑफ इंडियन कांस्टीट्यूशन ए स्टडी, नई दिल्ली दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड्ड्मिनिस्ट्रेशन, 1969 पृ. 69

9. बक्शी उपेन्द्र, राईट टू बी. ह्यूमन, नई दिल्ली लैंसर इंटरनेशनल, 1987 पृ. 41

10. मोहता पी.एल., नीता वर्मा, ह्यूमन राईट्स इंडियन कांस्टीट्यूशन, नई दिल्ली दीप एण्ड दीप 1999 पृ. 54

11. डी. पी. त्रिपाठी, मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद ।

12. राधेश्याम गुप्ता, महिला और कानून, इशिका पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2010

13. जयराम, उपाध्याय ''मानवाधिकार'' सेन्ट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2003।

14. डॉ.एच.ओ. अग्रवाल ''मानव अधिकार'' सेन्ट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, इलाहाबाद ।

15. जी.पी.त्रिपाठी ''भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास'', सेन्ट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

❑❑❑